रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940
No. 178] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2018

सा.का.नि. 278(अ).—केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (**1989** का 24) की धारा 87 के उपखंड (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल (माल डिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को रेल (माल डिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा.

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

2. रेल (माल डिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में, अनुसूची में,-

(क) स्थिति-क शीर्षक के अंतर्गत, भाग-II में मद (ii) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(ii) बीसीसीडब्ल्यू माल डिब्बों के लिए

अधिक लदान की सीमा	***अनुमेय ढुलाई क्षमता तथा आधे टन की लदान क्षमता से अधिक लदान किए गए पण्य के संपूर्ण भार पर उद्ग्राह्य दंडात्मक प्रभार**
यदि पण्य का भार माल डिब्बे की अनुमेय ढुलाई क्षमता से अधिक है:	
(क) आधे टन तक	कुछ नहीं.
(ख) आधे टन से अधिक लेकिन साढ़े तीन टन तक	उस पण्य पर लगने वाली माल भाड़ा दर का दो गुना.
(ग) साढ़े तीन टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लगने वाली माल भाड़ा दर का तीन गुना.

***व्याख्या**.- यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अनुमेय क्षमता से आधे टन तक अधिक भार पर पण्य पर लागू दर पर सामान्य माल भाड़ा वसूलनीय होगा एवं अनुमेय ढुलाई क्षमता एवं आधे टन की लदान क्षमता से अधिक पण्य के संपूर्ण भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किया जाएगा."

(ख) स्थिति-ख शीर्षक के अंतर्गत, भाग-II में मद (ii) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(ii) बीसीसीडब्ल्यू माल डिब्बों के लिए

अधिक लदान सीमा	***अनुमेय ढुलाई क्षमता से अधिक लदान किए गए पण्य के संपूर्ण भार पर उद्ग्राह्य दंडात्मक प्रभार**
यदि पण्य का भार माल डिब्बे की अनुमेय ढुलाई क्षमता से अधिक है:	
(क) आधे टन तक	कुछ नहीं.
(ख) आधे टन से अधिक लेकिन साढ़े तीन टन तक	उच्चतम श्रेणी पर लगने वाली माल भाड़ा दर का तीन गुना.
(ग) साढ़े तीन टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लगने वाली माल भाड़ा दर का पांच गुना.

***व्याख्या**.- यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अनुमेय क्षमता से आधे टन तक अधिक भार पर पण्य पर लागू दर पर सामान्य माल भाड़ा वसूलनीय होगा. बहरहाल अनुमेय ढुलाई क्षमता से आधा टन से अधिक भार होने के मामले में अनुमेय ढुलाई क्षमता से अधिक पण्य के संपूर्ण भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किया जाएगा."

[फा. सं. टीसीआर/1394/2011/04]

राहुल अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक,यातायात वाणिज्य (दर)

टिप्पणी.: मूल नियम सा.का.नि.570(ङ) दिनांक 17 जुलाई, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि.898(ङ), दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 एवं सा.का.नि. 550(ङ), दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2018

G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of Section 87 of the Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, in the SCHEDULE,-

   (a) under the heading Situation-A, in Part-II, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) **For BCCW wagons**

Extent of overloading	***Punitive charges leviable on the entire weight of the commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of half tonne**
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon:	
(a) up to half tonne	Nil.
(b) by more than half tonne but not more than three and half tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity.

Extent of overloading	***Punitive charges leviable on the entire weight of the commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of half tonne**
(c) by more than three and half tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class.

***Explanation**.- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto half tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of half tonne."

(b) under the heading Situation-B, in Part-II, for item(ii), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) **For BCCW wagons**

Extent of overloading	***Punitive charges leviable on the entire weight of the commodity loaded in excess of permissible carrying capacity**
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon:	
(a) up to half tonne	Nil.
(b) by more than half tonne but not more than three and half tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class.
(c) by more than three and half tonnes	Five times of the freight rate applicable to the highest class.

***Explanation**.- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto half tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable. However, in case of weight exceeds the permissible carrying capacity by more than half tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity."

[F.N. TCR/1394/2011/04]

RAHUL AGARWAL, Executive Director, Traffic Commercial (Rates)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 570(E), dated the 17th July, 2012 and amended vide notification numbers G.S.R. 898(E), dated the 17th December, 2012 and G.S.R. 550(E), dated the 10th July, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.26 10:13:33 +05'30'